बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के० नगर, पूर्णिया के विरूद्ध वार्ड नं०–22, शहरी क्षेत्र, समस्तीपुर अन्तर्गत श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017 एवं कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से सुनियोजित तरीके से MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर राशन कार्डधारियों के नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का अनुचित ढंग से उठाव/Transaction किये जाने, सरकार द्वारा संचालित जन–कल्याणकारी योजना का गलत ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग/विचलन करने, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–4706 दिनांक–26.10.2023 द्वारा श्री सिन्हा से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–547 दिनांक–30.01.2024 द्वारा प्रस्तुत मामले की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सिन्हा की 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त के क्रम में श्री सिन्हा द्वारा उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील के सुनवाई के क्रम में माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–27.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री सिन्हा के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 को निरस्त (set aside) करते हुए अभिलेख पुनर्विचार हेतु विभाग को Remand कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2489 दिनांक–19.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सिन्हा से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच नये सिरे से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के० नगर, पूर्णिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।

4. श्री सिन्हा को यह निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11/2023 – 525 खाद्य, पटना/दिनांक–30/01/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया/अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर –सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को निदेश दिया जाता है कि संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रस्तुत मामले में सुनवाई के निमित अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया, Mobile No. 9304314149, E-Mail : aatish2002@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।